न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—114/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. नरदेव सिह
2. राजपाल सिह

पि. गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह जाति जटसिख
सा. जगमालवाली तह. कालांवाली जिला सिरसा

वादीगण

बनाम

1. चरणजीत कौर उर्फ बबी कौर (पत्नि दर्शन सिह) पुत्री गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह जाति जटसिख सा मौड कलां तह. तलवंडी जिला बठिण्डा
2. छिन्द्र कौर (पत्नि बलविन्द्र सिह) पुत्री गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह जाति जटसिख सा मौड कलां तह. तलवंडी जिला बठिण्डा
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण
2— श्री गुरमीत सिह कलसी — वकील प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :—23.10.2019

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रति स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जो कि मृतक गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह पुत्री गजन सिह के वारिसान है। अतः दावा की सही स्थिति को समझने के लिए हमारे संयुक्त परिवार की वंशावली को समझना अति आवश्यक है। जो कि निम्न प्रकार से है चक 16 बी.जी.पी. खाता स. 30/20 खाता नत्थु वगैरा ज.स. 2070—73 में वादीगण व प्रति स. 1 व 2 के नाम 0.338 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं चक 15 बी.जी. पी. खाता स. 59/47 खाता नत्थु वगैरा ज.स. 2068—71 में वादीगण व प्रति स. 1 व 2 की माता गुरदेव कौर पुत्री गजन सिह पत्नि जगराज सिह के नाम सांझा खाता में 2.934 है0 आराजी दर्ज है। गुरदेव कौर फौत हो गई है। जिसके जायज वारिस वादीगण एवं प्रति स. 1 व 2 ही है। उक्त दोनो खातों में से प्रति स. 1 व 2 ने अपना विरास्तन हक व हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। अतः चक 16 बी. जी.पी. खाता स. 30/20 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज व चक 15 बी.जी.पी. खाता स. 59/47 मे गुरदेव सिह पुत्री गजन सिह के नाम दर्ज कुल आराजी के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है।इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम दावा की दफा 3 के

मुताबिक दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारो पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण को दावा की दफा 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम से अंकन करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वाद कारण हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी सख्या 2 ने अपना शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने गुरदेवकौर का मृत्यु प्रमाण पत्र मय वारिसान तस्तदीक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जगमालवाली खण्ड औढ़ा (सिरसा) से जारी पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में चक 6 एनटीडब्ल्यू के नामान्तरण संख्या 258 की प्रति पेश की है तथा चक 16 बीजीपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 30/20 खाता नत्थू वगेरा प्रदर्श–1, चक 15 बीजीपी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 59/47 खाता नत्थू वगेरा प्रदर्श–2, करवाई गई जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 16 बीजीपी के खाता संख्या 30/20 खाता नत्थू वगैरा एवं चक 15 बीजीपी खाता संख्या 59/47 खाता नत्थू वगैरा में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबति करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादीगण ने चक 6 एनटीडब्ल्यू के नामान्तरण संख्या 258 की प्रति चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत गुरदेवकौर के मृत्यु प्रमाण एवं वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। वकील वादीगण ने

फार्म नं. 3 के साथ विरास्तन साक्ष्य में चक 6 एनटीडब्ल्यू के नामान्तरण संख्या 258 की प्रति पेश की है तथा चक 16 बीजीपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 30/20 खाता नत्थू वगेरा प्रदर्श–1, चक 15 बीजीपी की जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 59/47 खाता नत्थू वगेरा प्रदर्श–2, करवाई गई है, जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत सहमति के जवाबदावा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– चक 16 बी.जी.पी खाता स. 30/20 खाता नत्थु वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है।अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इनके हिस्से की आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे व चक 15 बी.जी.पी. खाता स. 59/47 खाता नत्थु वगैरा ज.स. 2068–71 में गुरदेव कौर पुत्री गजन सिह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 व 2 का कोई हिस्सा नही है। अतः उक्त खाता में से गुरदेव कौर पुत्री गजन सिह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 114/2019

1 नरदेव सिह 2. राजपाल सिह	पि. गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह जाति जटसिख सा. जगमालवाली तह. कालांवाली जिला सिरसा

वादीगण

बनाम

1. चरणजीत कौर उर्फ बबी कौर (पत्नि दर्शन सिह) पुत्री गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह जाति जटसिख सा मौड कलां तह. तलवंडी जिला बठिण्डा
2. छिन्द्र कौर (पत्नि बलविन्द्र सिह) पुत्री गुरदेव कौर पत्नि जगराज सिह जाति जटसिख सा मौड कलां तह. तलवंडी जिला बठिण्डा
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः–चक 16 बी.जी.पी खाता स. 30/20 खाता नत्थु वगैरा ज.स. 2070–73 में प्रति स. 1 व 2 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है।अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाकर इनके हिस्से की आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावे व चक 15 बी.जी.पी. खाता स. 59/47 खाता नत्थु वगैरा ज.स. 2068–71 में गुरदेव कौर पुत्री गजन सिह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार है। इसमें प्रति स. 1 व 2 का कोई हिस्सा नही है। अतः उक्त खाता में से गुरदेव कौर पुत्री गजन सिह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 23.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 16:00:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: